भारत सरकार

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. **4158** जिसका उत्तर

शुक्रवार, 20 दिसंबर, 2024/29 अग्रहायण, 1946 (शक) को दिया जाना है

पोत निर्माण के लिए अवसंरचना का विकास

†4158. श्री पी. पी. चौधरी :

श्री दुलू महतो :

श्री कोटा श्रीनिवास पूजारी :

डॉ. निशिकान्त दुबे :

श्री बिद्युत बरन महतो :

श्री लुम्बा राम :

श्री योगेन्द्र चांदोलिया :

श्री अनुराग शर्मा :

श्री दिलीप शइकीया :

श्री अनुराग सिंह ठाकुर :

क्या **पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मंत्रालय द्वारा देश में पोत निर्माण अवसंरचना के विकास / संवर्द्धन और सभी संबद्ध सुविधाओं के निर्माण के लिए क्या कदम उठाए गए/ उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान समुद्री अवसंरचना के विकास के लिए परियोजनावार, पत्तनवार और वर्षवार स्वीकृत वित्तीय आवंटन की कुल राशि कितनी है;

(ग) क्या विद्यमान पोत निर्माण क्षमताओं में कमियों के संबंध में कोई आकलन किया गया है, यदि हां, तो सरकार द्वारा उनका समाधान करने के लिए क्या कदम उठाए गए / उठाए जाने का विचार है;

(घ) क्या चल रही अवसंरचनात्मक परियोजनाओं को पूरा करने के लिए कोई समय-सीमा तय की गई है, यदि हां, तो इस संबंध में अब तक प्राप्त की गई प्रगति के साथ तत्संबंधी ब्यौरा क्या है:

(ङ) क्या उक्त परियोजना के लिए देश के उत्तर पूर्वी राज्यों को शामिल करने की कोई योजना है, और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री

(श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क) से (च): मंत्रालय द्वारा देश में पोत निर्माण अवसंरचना के विकास / संवर्द्धन और सभी संबद्ध सुविधाओं के निर्माण के लिए उठाए गए/ उठाए जाने के लिए प्रस्तावित कदम निम्नानुसार हैं:

(i) मंत्रालय ने आधुनिक प्रौद्योगिकियों और मशीनरी के संबंध में स्वदेशी पोत निर्माण को बढ़ाने के लिए, निम्नलिखित को शामिल करने हेतु पत्र सं. एसवाई-16023/6/2015- एसबीआर, भाग-I के तहत पोत निर्माण वित्तीय सहायता नीति (एसबीएफएपी) दिशा-निर्देशों को संशोधित किया है :-

क) विशेषीकृत जलयानों के रूप में विंड टरबाईन संस्थापित जलयान, विंड फार्म सर्विस एंड मेनटेनेंस जलयान तथा स्वचलित ड्रेजर जो गैर-विशेषीकृत जलयानों के लिए ऊपरी सीमा 40 करोड़ रुपये के अतिरिक्त उच्च वित्तीय सहायता पाने के पात्र हैं।

ख) सभी जलयानों के लिए सीधे 30% की वित्तीय सहायता जहां वे मैथेनॉल/ अमोनिया/ हाइड्रोजन ईंधन सेल्स जैसे हरित ईंधनों के साधन द्वारा मुख्य प्रणोदन प्राप्त किए जाते है।

ग) पूर्णत: विद्युत या हाइब्रिड प्रणोदन प्रणाली से सुसज्जित जलयानों या हाइब्रिड प्रोप्लशन प्रणाली से सुसज्जित सभी जलयानों के लिए सीधे 20% की वित्तीय सहायता।

(ii) भारतीय शिपयार्डों में 1 अप्रैल, 2016 से 31 मार्च, 2026 के बीच पोत निर्माण के लिए हस्ताक्षरित पोत निर्माण संबंधी अनुबंधों हेतु एसबीएफएपी के तहत 4,000 करोड़ रु. की निधियां आवंटित की गई है और अब तक 385.16 करोड़ रु. का उपयोग किया गया है।

(iii) भारत सरकार ने दिनांक 13 अप्रैल, 2016 की राजपत्र अधिसूचना संख्या 112 के तहत 'शिपयार्डों' को अवसंरचना उप-क्षेत्रों की अद्यतित सामंजस्यपूर्ण मास्टर सूची में शामिल किया है।

(iv) घरेलू पोत निर्माण को बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने 19.05.2016 को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों सहित सरकारी विभागों या एजेंसियों द्वारा जारी सरकारी उद्देश्यों या अपने स्वयं के उपयोग के लिए उनके द्वारा उपयोग किए जाने वाले किसी भी प्रकार के जलयानों के अधिग्रहण के लिए जारी किए गए नए पोत निर्माण आदेशों के मूल्यांकन और निविदाएं प्रदान करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। जब भी किसी जलयानों का अधिग्रहण निविदा के माध्यम से किया जाता है, तो योग्य भारतीय शिपयार्ड के पास "प्रथम अस्वीकार करने का अधिकार" होगा, ताकि वे विदेशी शिपयार्ड द्वारा प्रस्तुत किए गए मूल्यांकित न्यूनतम मूल्य समकक्ष कर सकें, जिसका उद्देश्य भारतीय शिपयार्ड में पोत निर्माण गतिविधियों को बढ़ाना है।

इसके अलावा, पोत निर्माण और पोत-स्वामित्व से संबंधित सरकारी संगठनों को भारत सरकार के सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया को वरीयता) आदेश, 2017 के अनुसार स्थानीय सामग्री सुनिश्चित करने की सलाह दी जाती है। इस आदेश के अनुसार, 200 करोड़ रुपये से कम के पोतों की खरीद भारतीय शिपयार्डों से की जानी अपेक्षित है।

(v) सरकार ने नवंबर, 2021 में भारतीय शिपयार्डों में निर्माण करने के लिए टगों की खरीद हेतु महापत्तनों द्वारा उपयोग में लाने के लिए पांच प्रकार के मानक टग डिजाइन किए हैं।

(vi) घरेलू पोत निर्माण को बढ़ावा देने के लिए पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने दिनांक 20.09.2023 को जलयान के किसी भी प्रकार के चार्टर में अनुपालन करने के लिए पहले अस्वीकार करने

का अधिकार (आरओएफआर) का अनुक्रम संशोधित किया है जिसका निविदा प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है। आरओएफआर का संशोधित अनुक्रम निम्नानुसार है:

(1) भारतीय निर्मित, भारतीय ध्वजांकित और भारतीय स्वामित्व।

(2) भारतीय निर्मित, भारतीय ध्वजांकित और भारतीय आईएफएससीए स्वामित्व।

(3) विदेश निर्मित, भारतीय ध्वजांकित और भारतीय स्वामित्व।

(4) विदेश निर्मित, भारतीय ध्वजांकित और भारतीय आईएफएससीए स्वामित्व।

(5) भारतीय निर्मित, विदेशी ध्वजांकित और विदेशी स्वामित्व।

(vii) आत्मनिर्भर भारत के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 2021 में सरकारी कार्गो के आयात के लिए मंत्रालयों/ विभागों तथा सीपीएसई द्वारा जारी की गई वैश्विक निविदाओं में भारतीय पोत परिवहन कंपनियों को पांच वर्षों की अवधि के दौरान सब्सिडी के रूप में 1624 करोड़ रु. प्रदान करने के लिए एक योजना अनुमोदित की है। संबंधित सीपीएसई ने दिनांक 08.10.2024 तक 213.54 करोड़ रु. की सब्सिडी प्रदान की है।

(viii) पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम (जीटीटीपी) शुरू किया है जिसका उद्देश्य कार्बन उत्सर्जनों को कम करना तथा पर्यावरण अनुकूल संवहनीय टगबोट प्रचालनों को अपनाने को प्रोत्साहित करके पर्यावरणीय प्रभाव को न्यूनतम करना है।

(ix) सरकार ने अंतर्देशीय जलमार्ग जलयानों में हरित प्रौद्योगिकियों को अपनाने को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अंतर्देशीय जलयानों हेतु हरित नौका दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

(x) इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने मैरीटाइम इंडिया विज़न, 2030 तथा मैरीटाइम अमृत काल विज़न, 2047 को शुरू किया है जिसने मौजूदा पोत निर्माण क्षमताओं में अंतर का आंकलन किया है।

*****